(88)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 136/2022

1. अनील अत्री पुत्र बनारसीदास, उम्र 52 वर्ष, जाति ब्राहमण, हाल निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
2. श्यामलाल पुत्र चन्दन, उम्र 62 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी सालवण तहसील असन्द, जिला करनाल हाल निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
3. अमित शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा, उम्र 42 वर्ष, जाति ब्राहमण, हाल निवासी वार्ड नं0 19, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सुनील पुत्र रूलीचन्द, उम्र 42 वर्ष, जाति भार्गव, निवासी वार्ड नं0 19, कस्बा खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
5. श्रीमती सुषमा देवी पत्नि स्व0 रामफल, उम्र 40 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, शिव मन्दिर के पास अगवाडा, तहसील पुनडरी जिला कैथल, हरियाणा।
6. आर्यन शर्मा पुत्र स्व0 रामफल, उम्र 40 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, शिव मन्दिर के पास अगवाडा, तहसील पुनडरी जिला कैथल, हरियाणा।
7. शाईनिंग शर्मा पुत्री स्व0 रामफल, उम्र 16 वर्ष, जरिये संरक्षक अपनी माता श्रीमती सुषमा देवी समस्त जाति ब्राहमण, शिव मन्दिर के पास अगवाडा, तहसील पुनडरी जिला कैथल, हरियाणा।
8. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व0 रामेश्वरदत्त, उम्र 75 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी 929, सैक्टर–द्वितीय, पानीपत, तहसील व जिला पानीपत, हरियाणा हाल निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
9. कृष्णलाल दुरेजा पुत्र श्री खिल्लुराम दुरेजा, जाति दुरेजा, निवासी उत्तम नगर, नई दिल्ली, हाल निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)

——— आवेदक

बनाम

1. श्री जय सिंह पुत्र नामालुम हाल उपखण्ड अधिकारी, खेतडी तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सीमा गुप्ता पुत्री स्व0 गायत्री जैन व विजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी डब्लू जेड, 43 डी0पी0 पोसंगीपुर जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058
3. दीपा अग्रवाल पुत्री स्व0 गायत्री जैन व विजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी डब्लू जेड, 43 डी0पी0 पोसंगीपुर जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058
4. सालगी मित्तल पुत्री स्व0 गायत्री जैन व विजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी डब्लू जेड, 43 डी0पी0 पोसंगीपुर जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058
5. सुमित जैन पुत्र गायत्री जैन व विजेन्द्र जैन, जाति महाजन, निवासी डब्लू जेड 43 डी0पी0 पोसंगीपुर जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058
6. ज्योति गोयल पत्नि सुनील गोयल, उम्र 45 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 23ए, जीटी रोड, पंखा रोड, उत्तर नगर, नई दिल्ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

7. विजेन्द्र जैन पुत्र पुलसीराम जैन उर्फ तुलसीराम जैन, उम्र 72 वर्ष, जाति महाजन, निवासी डब्लू जेड, 43 डी0पी0 पोसंगीपुर जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
8. अचिन अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल, उम्र 37 वर्ष, जाति महाजन, निवासी बी0एम0 45, सालीमारबाग ईस्ट, नई दिल्ली
9. सतीश गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल, जाति महाजन, निवासी 23/8, शक्ति नगर, नई दिल्ली
10. डॉ0 एस0सी0 सिंघल पुत्र एम0बी0लाल, उम्र 75 वर्ष जाति महाजन, निवासी सी–41, जनकपुरी, नई दिल्ली
11. ख्यालीराम पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर, निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
12. फूलचन्द पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)
13. गुगन पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी गुणीनीचा, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)
14. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतडी, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— अनावेदक

— — —

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत मुकदमा उनवानी अनील अत्री आदि बनाम श्रीमती गायत्री जैन आदि मु0न0 19/2015 दावा बाबत घोषणात्मक व खाता विभाजन, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खेतडी श्री जयसिंह के समक्ष को अन्य न्यायालय में अन्तरण (ट्रांसफर) करवाने के बाबत।

— — —

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, अभिभाषक– आवेदक सं0 1 लगा0 5 व 8 लगा0 9 की ओर से उपस्थित।
2. श्री आलोक शर्मा, अभिभाषक – आवेदक सं0 6 व 7 की ओर से उपस्थित।
4. श्री संजीव सिंघल, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 6 की ओर से उपस्थित।
5. श्री रविन्द्र सिंह भोल्याण, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2, 4, 7 व 10 की ओर से उपस्थित।
6. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 1 व 14 की ओर से उपस्थित।
7. अनावेदक सं0 3, 5, 8, 9 व 11 लगा0 13 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.06.2022

प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतडी श्री जयसिंह, आर0ए0एस0 के [illegible] आदि बनाम श्रीमती गायत्री जैन आदि मु0नं0 19/2015 लम्बित है। उपरोक्त उनवानी मु[illegible] रूप से खातेदार/पक्षकारान के मध्य उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि हाल रेवेन्यू विलेज गुणीनीचा [illegible] खेतडी, स्थित भूमि खसरा नं0 1 रकबा 58.58 हैक्टर, खसरा नं0 2 रकबा 23.9[illegible] हैक्टर, खसरा नं0 51 रकबा 18.99 हैक्टर, खसरा नं0 1510/139 रकबा 0.25 हैक्टर कुल [illegible] 5 कुल रकबा 105.92 हैक्टर के बारे में है। समस्त खातेदारान/पक्षकारान की सहमति से उनके रिकार्डेड हिस्से के अनुसार दिनांक 21.12.2020 को प्राथमिक डिकी जारी हो गई व समस्त हिस्सेदार इस प्राथमिक डिकी से सहमत हो गए। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

90

सहमति की डिक्री के आधार पर उपखण्ड अधिकारी खेतडी श्री जयसिंह जी ने तहसीलदार खेतडी के माध्यम से विभाजन प्रस्ताव मंगवाए। दिनांक 28.12.2022 को प्रार्थी/वादी सं0 1 अनील अत्री की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत हुआ जो सहमति से स्वीकार हुआ व डिक्री निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2020 को संशोधित किया गया जिसका कोई विवाद पक्षकार के मध्य नही है। इसके दिनांक 14.03.2022 को पत्रावली कूर्रेजात में नियत की गई। दिनांक 28.03.2022 को तहसीलदार खेतडी ने विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) पेश किये गये व दिनांक 29.03.2022 को इस विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया जिस पर प्रतिवादी सं0 4 व 2 का आपत्ति पत्र प्रस्तुत हुआ, जिनकी आपत्ति स्वीकार कर पुनः तहसीलदार खेतडी को नये विभाजन प्रस्ताव पेश करने के आदेश दिये गये जो दिनांक 05.04.2022 को तैयार कर दिनांक 06.04.2022 को प्रस्तुत हुए, इन पर आपत्तिकर्ता के आपत्ति का जवाब प्रार्थीगण की ओर से पेश हुआ व उसके साथ प्रार्थीगण ने मौके का वर्णन व 10 दस्तावेजात मय फोटो प्रस्तुत किये जिन पर उभय पक्षकारान को सुना गया व पत्रावली दिनांक 18.04.2022 को पत्रावली अग्रीम कार्यवाही में नियत की गई। जबकि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.04.2022 को बनाकर दिनांक 06.04.2022 को प्रस्तुत किये वा सही थे मगर उपखण्ड अधिकारी श्री जयसिंह ने इस प्रस्ताव को अपने आप ही मानने से अस्वीकार कर दिया। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 01 ने खुले न्यायालय में आवेदकगण को कथन किया है कि मुझ पर स्थानीय विधायक तथा मुख्यमंत्री सलाहकार का दबाव है तथा भूतपूर्व सरपंच माधोगढ खेतडी श्री दयाराम कालस के कहे अनुसार व उनके निर्देशानुसार ही इस प्रकरण की सुनवाई कर निर्णय करना पडेगा तथा उक्त भूतपूर्व सरपंच को उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा गया है तथा दयाराम ने आवेदकगण के समक्ष कई दफा मौखिक ऐलान भी कर चुका है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार कुर्रेजात (विभाजन प्रस्ताव) रिपोर्ट मंगवा लो खसरा नम्बर 45 व 51 के पश्चिम की भूमि का कब्जा मैं विपक्षीगण को करवा के दूंगा। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण को उक्त उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से न्याय मिलने की क्षीण मात्र भी सम्भावना नही रही है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि वर्तमान अधिकारी श्री जयसिंह से अप्रार्थी सं0 6 जो दावे का प्रतिवादी सं0 2 है से साज कर चुके थे व प्रार्थीगण व वादीगण ने भूमि खसरा नं0 45 व 51 व इनके सामने पश्चिम की भूमि खसरा नं0 1 व 2 में लाखों रूपये लगाकर समतल किया है। भूमि खसरा नं0 51 में वादीगण ने दो कुए बना रखे है व करीब 500 फलदार पैड लगा रखे है। प्रतिवादी सं0 2 अप्रार्थी सं0 6 को भी सडक के सहारे करीब 80 मीटर का फरन्ट दिया गया है व वह श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से मिलकर वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा समतल की गई भूमि खसरा नं0 51 में व खसरा नं0 2 व 1 में सडके के सहारे अत्याधिक भूमि मांग रही है। भूमि खसरा नं0 51 में वादीगण का बाग लगा हुआ है व कुआ है जिससे बाग की सिंचाई होती है मगर अप्रार्थी सं0 5 प्रतिवादी सं0 2 ज्योति गोयल उपखण्ड अधिकारी खेतडी श्री जयसिंह से मिली हुई है। व वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा उपजाउ बनाई गई व सिंचित की गई भूमि को लेना चाहती है जिसमें पदाधिकारी श्री जयसिंह भी न्याय के विरूद्ध जाकर पक्ष ले रहे है। ऐसी परिस्थितियों में यदि वर्तमान प्रकरण वर्तमान अधिकारी श्री जयसिंह के पीठासीन रहते हुए रखा गया व सुनवाई की गई तो प्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय होगा। प्रार्थीगण ने उक्त अधिकारी श्री जयसिंह के पास उक्त दावा रखने व निर्णय करने की अनइच्छा जाहिर करते हुए प्रकरण को श्रीमानजी के माध्यम से अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करवाने का प्रार्थना पत्र दिनांक .2022 को पेश कर दिया है। ऐसी परिस्थितियो में प्रार्थीण मुकदमा उनवानी अनील अत्री आदि बनाम श्रीमति गायत्री जैन आदि दावा खाता विभाजन मु0नं0 19/2015 को अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करवाना चाहते है। अतः हस्तांतरण प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि मुकदमा उनवानी अनील अत्री आदि बनाम गायत्री जैन आदि मु0न0 19/2015 श्रीमान जयसिह उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय से अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, खेतडी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, खेतडी ने पत्रांक 770 दिनांक 16.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 1 व 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 3 के जवाब में निवेदन है कि उक्त तथाकथित वाद संख्या 19/2015 बउनवानी अनिल अत्री आदि बनाम श्रीमती गायत्री जैन आदि में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दलील सुनने के पश्चात राजस्व रिकार्ड की स्थिति व उभय पक्षकारान की सहमति से न्यायालय हाजा द्वारा दिनाक 21.12.2020 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 4 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है। न्यायालय हाजा द्वारा खाता विभाजन के मुकदमो में प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी होने पर भूमिधारी की हैसियत से तहसीलदार, खेतडी से वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा काश्त को दृष्टिगत रखते हुए कुर्रेजात मंगवाये जाते है जो एक विधिक प्रक्रिया है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 5 गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 28.12.2021 को प्रार्थी/वादी अनिल अत्री ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2020 में संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। उभय पक्षकारान की सहमति अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2020 में आंशिक संशोधन किया जाकर पुनः संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2021 को किया गया। उक्तानुसार संशोधित निर्णय व डिक्री की पालना में खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने तहसीलदार, खेतडी को तहरीर जारी की गई। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 6 में तहसीलदार, खेतडी द्वारा प्रकरण में अपने पत्रांक 624 दिनांक 16.03.2022 से दिनांक 28.03.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जाना स्वीकार हैं प्रकरण दिनांक 29.03.2022 को बहस हेतु नियत किया गया तथा शेषांश तथ्य मनगढत, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं0 7 में वर्णित तथ्यों के संबंध मे निवेदन है कि उक्त बिन्दु में तथाकथित बातें मनगढत, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान की मर्यादा में रहते हुये प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही न्यायिक कार्यवाहियां संपादित की गई है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 8 गलत है अस्वीकार है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण के पक्षकारान को पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु कार्यवाही संपादित करता आ रहा है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 9 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार हैं। जब अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण के किसी भी पक्षकारान को व्यक्तिगत जानता ही नही है तो मिलने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त बिन्दु में तथाकथित बाते मनगढंत, बनावटी, निराधार, व सत्यता से परे है। केवल मात्र उक्त तथाकथित प्रार्थना पत्र का आधार हेतु गलत तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 10 गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 11 गलत है अस्वीकार है। न्यायालय उक्त प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर रहा है कोई पक्षपात नही किया जाता है। यदि श्रीमान जी उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है तो इसे अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 12 कानूनी है। उत्तर की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 13 शपथ पत्र से संबंधित है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों पर आधारित है तो अस्वीकार है। अतः विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद संख्या 19/2015 उनवानी अनील अत्री आदि बनाम गायत्री जैन आदि को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं0 01 ने खुले न्यायालय में आवेदकगण को कथन किया है कि मुझ पर स्थानीय विधायक तथा मुख्यमंत्री सलाहकार का दबाव है तथा भूतपूर्व सरपंच बबोगढ खेतडी श्री दयाराम कालस के कहे अनुसार व उनके निर्देशानुसार ही इस प्रकरण की सुनवाई कर निर्णय करना पडेगा तथा उक्त भूतपूर्व सरपंच को उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा गया है तथा दयाराम ने आवेदकगण के समक्ष कई दफा मौखिक ऐलान भी कर चुका है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार कुर्रेजात (विभाजन प्रस्ताव) रिपोर्ट मंगवा लो खसरा नम्बर 45 व 51 के पश्चिम की भूमि का कब्जा मैं विपक्षीगण को करवाा के दूंगा। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण को उक्त उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से न्याय मिलने की क्षीण मात्र भी सम्भावना नही रही है। अतः हस्तांतरण प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि मुकदमा उनवानी अनील अत्री आदि बनाम गायत्री जैन आदि मु0न0 19/2015 श्रीमान जयसिह उपखण्ड अधिकारी खेतडी के न्यायालय से अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने वकील प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहते है। अदालत मातहत मे समुचित रूप से सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी ने अन्य न्यायालय मे मुकदमा स्थानान्तरण को कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

वकील अप्रार्थी सं0 2, 4, 7 व 10 ने बहस के दौरान बताया कि वे अदालत मातहत मे विचाराधीन वाद के अनुसार जिस भूमि पर जहां काबिज है उसमे कोई बदलाव नही किया जाता है तो उन्हे कोई दिक्कत नही है।

अप्रार्थीगण सं0 3, 5, 8, 9 व 11 लगा0 13 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी अनील अत्री आदि बनाम गायत्री जैन आदि मु0न0 19/2015 श्रीमान जयसिह उपखण्ड अधिकारी खेतडी का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही [illegible]। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:42 IST
Reason: SelfAttested